राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
एस0सी0ओ0 नं0 16–17, सैक्टर 20 डी0
चण्डीगढ़

हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन खर्च (लेखे रखना और प्रस्तुत करना) आदेश, 1996

उम्मीदवारो द्वारा हरियाणा राज्य में पंचायतों के चुनावों के निर्वाचन खर्च के लेखे प्रस्तुत करने और उनसे सम्बन्धित मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु आदेश।

जबकि भारतीय संविधान और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम–II) द्वारा हरियाणा राज्य में पंचायतों के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दिया गया है। और जबकि, राज्य निर्वाचन आयोग, चुनाव में बेहिसाब वित्तीय स्रोंतों की बढ़ती हुई खराब भूमिका के प्रति पूर्णतः सजग है तथा इस को रोकने में वर्तमान कानून अपर्याप्त होने के कारण हरियाणा राज्य में पंचायतों के चुनाव निष्पक्ष तथा कुशलतापूर्वक करवाने के लिए, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव और उससे सम्बन्धित मामलों पर होने वाले खर्च के लेखे प्रस्तुत करने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक और अनिवार्य है।

अतः अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम–II) की धारा 212 के अन्तर्गत प्रदत शक्तिययों और इस सम्बन्ध में सक्षम बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा एतद द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाते हैः–

1. संक्षिप्त, शीर्षक, विस्तार, लागू करना तथा प्रवर्तनः– (1) इस आदेश को हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन खर्च (लेखे रखना और प्रस्तुत करना) आदेश, 1996 कहा जाए।

(2) यह आदेश सभी पंचायतों में चुनाव के सम्बन्ध मे समूचे हरियाणा राज्य में लागू होगा।

(3) यह आदेश हरियाणा राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा, जो इस के पश्चात इस आदेश की प्रारम्भ तिथि होगी।

2. परिभाषा और अभिव्यक्तिः– (1) इस आदेश में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम संख्या II)

(ख) "निर्वाचन खर्च" से अभिप्राय है, उम्मीदवार अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा नामांकन और उसके परिणामों की घोषणा की तिथि इसमें दोनों दिन शामिल होंगे के बीच निर्वाचन के सम्बन्ध में किया गया अथवा प्राधिकृत कोई खर्च'

(ग) "पंचायत" से अभिप्राय है, अनुच्छेद 243 ख के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गठित स्वाशासन संस्था और इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं,

(घ) "नियम " से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियमावली, 1994,

(ड.) "धारा" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा,

(च) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 212 के साथ पटित संविधान के अनुच्छेद 243ट के अन्तर्गत गटित राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

(छ) "उप–पैरा" से अभिप्राय हैः पैरे का वह उप पैरा जिसमें शब्द आता है, और

(2) इस आदेश में प्रयुक्त शब्द तथा अभिव्यक्ति किन्तु जिनकी परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु जिन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, उन का अर्थ कमशः इन अधिनियमों और नियमावलियों में निर्दिष्ट अनुसार होगा।

(3) "ऐसी परिभाषा न होने की स्थिति में पंजाब सामान्य खण्ड अधिनियम, 1898 (1898 का पंजाब अधिनियम संख्या I) यथासम्भव इस आदेश की व्याख्या के सम्बन्ध में लागू होगा जिस तरह यह हरियाणा अधिनियम की व्याख्या के सम्बन्ध में लागू होता है।

3. निर्वाचन खर्च सीमा निर्धारित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचनाः–

इस आदेश के प्रयोजनार्थ, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी उम्मीदवार या उसके प्राधिकृत निर्वाचन एजेन्ट द्वारा किसी निर्वाचन में किए जाने वाले निर्वाचन खर्च की सीमा समय समय पर अधिसूचित की जाएगी।

4. निर्वाचन खर्च लेखा रखनाः– चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा इस आदेश के प्रयोजनार्थ इस आदेश के पैरा 5 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार दिन प्रतिदिन का निर्वाचन खर्च लेखा रखा जाएगा।

5. निर्वाचन खर्च नीचे उल्लिखित प्रकिया के अनुसार रखा जाएगाः–

(1) प्रत्येक उम्मीदवार को उसके नामांकन के तुरन्त पश्चात निर्वाचन अधिकारी द्वारा (पंचायत) दिन प्रतिदिन के खर्च का अभिलेख रखने के लिए इस आदेश के अनुबन्ध–1 में दर्शाये गए अनुसार मानक प्रोफार्मा में एक रजिस्टर जारी किया जाएगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) रजिस्टर जारी करने के समय उसे विधिवत प्रमाणित करेगा।

(3) उम्मीदवार या इस सम्बन्ध में उस द्वारा प्राधिकृत उसके एजेन्ट द्वारा इस रजिस्टर में दिन प्रतिदिन के लेखे इमानदारी से दर्ज किए जाएंगे और किसी अन्य दस्तावेज में नहीं।

(4) किए गए खर्च की पुष्टि में सभी दस्तावेज जैसे वाउचर, रसीदें, पावतियां आदि प्राप्त किए जाएंगे और उक्त रजिस्टर के साथ ठीक तिथि कम में रखे जाएं।

(5) (क) उक्त रजिस्टर में रखे गए दिन प्रतिदिन के लेखे पुष्टि दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रकिया के दौरान किसी भी समय पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आयोग द्वारा नियुक्त निर्वाचन खर्च प्रेषक या इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा मनोनीत किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा जांच करने के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(ख) उक्त वर्णित प्राधिकारी (क) द्वारा मांग करने पर इस रजिस्टर प्रस्तुत करने में असफल रहने को मुख्य चूक समझा जाएगा।

6. (क) चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार उसमें इस आदेश के अनुबन्ध ।। में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार चुनाव खर्च का लेखा भी रखेगा ताकि सूचीबद्व विभिन्न मदों का कुल खर्च दर्शाया जा सके। चुनाव खर्च के लेखे, दो प्रतियों में, निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिन के अन्दर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित अनुसार किसी अन्य अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे जो अनुबन्ध ।। में दिए गए प्रोफार्मा में उस द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखे गए लेखे के अनुरूप होंगे। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) निर्वाचन खर्च के लेखे की एक प्रति अपने पास रखेगा और दूसरी प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा।

(ख) उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उक्त उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट अधिकारी उम्मीदवार द्वारा उक्त उप–पैरा (क) के अन्तर्गत निर्वाचन खर्च का लेखा दर्ज करवाने की तिथि से 2 दिनों के अन्दर अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए नोटिस लगवाएगाः–

(I) *लेखा दर्ज करवाने की तिथि*

(II) *उम्मीदवार का नामः और*

(III) *समय तथा स्थान, जंहा ऐसे लेखों की जांच की जा सकती है।*

(ग) कोई भी व्यक्ति 5 रूपये फीस देकर ऐसे किसी लेखे की जांच करने का हकदार होगा और ऐसी फीस की अदायगी करने पर जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में नियत की जाए, ऐसे लेखे या उसके किसी भाग की साक्ष्यांकित प्रतियां प्राप्त करने के लिए भी हकदार होगा।

7. (क) निर्वाचन खर्च का लेखा दर्ज करवाते समय उम्मीदवार, रिकार्ड के रूप में विहित रजिस्टर भी पेश करेगा।

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार अपने निर्वाचन खर्च की विवरणियां प्रस्तुत करते समय अनुबन्ध–ııı में एक शपथपत्र भी देगा कि प्रोफार्मा में सूचीबद्व मदों में शुन्य दिखाया गया खर्च, अथवा उसमें खाली छोड़ी गयी मद यदि कोई है, पर उसके द्वारा कोई खर्च नहीं किया या है। इस शपथपत्र में यह भी स्पष्ट बताया जाएगा कि निर्वाचन से सम्बद्व सूचीबद्ध मदों पर किया गया समूचा निर्वाचन खर्च प्रायः विवरणी में पूरी तरह शामिल किया गया है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

8. इस आदेश के अनुबन्ध–ı में दिखाए गए अनुसार मानक प्रोफार्मा में एक रजिस्टर, अनुबन्ध–ıı के अनुसार प्रोफार्मा और अनुबन्ध–ııı के अनुसार शपथपत्र का नमूना निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार को उसके नामांकन के बाद खर्च का दैनिक लेखा रखने और विभिन्न मदों पर हुए कुल खर्च को दर्शाने के लिए दिया जाएगा।

9. चूंकि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन खर्च की विवरणी को "समूचें" निर्वाचन खर्च के लेखे के सम्बन्ध में "सहीं" दर्शाया जाना है अतः उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अथवा उक्त पैरा 6 के उप–पैरा (क) में निर्दिष्ट अधिकारी उम्मीदवार के लेखे निर्धारित ढंग के अनुसार हैं, ऐसा स्वीकार करने से पूर्व, ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे और आयोग को अपनी रिपोर्ट भेजते

समय प्रस्तुत दस्तावेजों के संदर्भ में और उपयुक्त जांच के माध्यम से अपने द्वारा सत्यापित अनुसार आयोग को यह प्रमाणित करेगा कि लेखा विवरणियां निर्धारित ढंग के अनुरूप हैं।

10. उक्त प्रक्रिया के माध्यम से दायर की गई विवरणियों की प्रमाणिकता की अधिजांच करने का इच्छुक आयोग किसी उम्मीदवार को किसी चूक या गलत बयानी के लिए व्यक्तिगत रूप से उतरदायी ठहराएगा।

11. निर्वाचन खर्च का लेखा प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपात्रता यदि राज्य निर्वाचन आयोग सन्तुष्ट हो जाता कि कोई व्यक्तिः–

(क) इस आदेश के अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार समय के अन्दर तथा ढंग से निर्वाचन खर्च का लेखा पेश करने में असमर्थ रहता है, और,

(ख) ऐसा करने में असफल रहने का कोई ठीक कारण या कोई औचित्य नहीं दे तो राज्य निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसे अपात्र घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अपात्र होगा।

12. ऐसे निर्देश पूर्णतया अनिवार्य होते हैं और आयोग के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना न तो स्थानीय रूप से कोई परिवर्तन अथवा संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) इसमें किसी प्रकार की छूट की अनुमति देने के लिए सक्षम नहीं होगा।

13. अनुदेश तथा निदेश जारी करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति– राज्य निर्वाचन आयोग निम्नलिखित अनुदेश और निदेश जारी कर सकता हैः–

(क) इस आदेश के किसी उपबन्ध के स्पष्टीकरण के लिए।

(ख) किसी ऐसे उपबन्ध के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आने वाली किसी कठिनाई का दूर करने के लिए।

(ग) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन खर्च विवरणी तैयार करने और प्रस्तुत करने सम्बन्धी किसी मामले के सम्बन्ध में, जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या उपबन्ध अपर्याप्त है और राज्य निर्वाचन आयोग की राय में सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित ढंग से चुनाव करवाने के लिए उपबन्ध करना आवश्यक है।

14. इस आदेश की एक–एक प्रति सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के स्थानीय युनिट को और प्रत्येक उम्मीदवार को या अपने नामांकन (नामांकन के समय न की नामांकनों की संवीक्षा के समय) के समय उस द्वारा प्राधिकृत एजेंट को पावती सहित उपलब्ध करवायी जाए।

15. इस आदेश का सभी सुलभ और सम्भव साधनों के माध्यम से व्यापक सम्भव प्रचार किया जाए।

दिनांक, चण्डीगढ़
13 मई, 1996

जे0के0दुग्गल
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

पृष्ठांकन संख्या एस.ई.सी./3ई–III/96/7675–97 *दिनांक 7–6–1996*

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाती है :–

(1) वितायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग।

(2) आयुक्त, अम्बाला, हिसार, गुडगांव और रोहतक मण्डल।

(3) निदेशक, विकास और पंचायत, हरियाणा, चण्डीगढ़।

(4) हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)।

हस्ता0

(जे0एस0परमार)
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

पृष्ठांकन संख्या एस.ई.सी./3ई–III/96/7698 *दिनांक 7–6–1996*

इसकी एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, संघ क्षेत्र चण्डीगढ़ को हरियाणा राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु भेजी जाती है।

उससे अनुरोध किया जाता है कि पृष्ठांकन सहित अधिसूचना की 100 प्रतियां , राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा चण्डीगढ़ को सूचनार्थ और रिकार्ड हेतु सप्लाई की जाए।

हस्ता0

(जे0एस0परमार)
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

पृष्ठांकन संख्या एस.ई.सी./3ई–III/96/7699–7715 *दिनांक 7–6–1996*

इसकी एक–एक प्रति सभी राजनैतिक दलों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

हस्ता0

(जे0एस0परमार)
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

पावती

——————————————————————उम्मीदवार का ——————————————————निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिस का परिणाम———————————————————(तारीख) को घोषित किया गया था, निर्वाचन खर्च का लेखा—————————————————————————(तिथि) को उस द्वारा और उस की ओर से प्रस्तुत किया गया, जो आज दिनांक———————————————————को मुझे प्राप्त हुआ।

जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला————————————————

अनुबन्ध–III
शपथपत्र–फार्म
————————

————————————————के जिला की————————————ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद वार्ड के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)———————————————(जिला)/निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख श्री————————————————— सुपुत्र श्री————————————— का शपथपत्र।

मैं————————————सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्री————————————— आयु————————निवासी——————————————————————————————एतद द्वारा ईमानदारी निष्टापूर्वक निम्नानुसार घोषणा करता हूं कि:–

(1) मैं————————————ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद की वार्ड————————से आम चुनाव/उप–चुनाव का प्रतियोगी उम्मीदवार था इस का निर्वाचन परिणाम————————————तिथि को घोषित हुआ था।

(2) मैंने/मेरे निर्वाचन एजेन्ट ने——————————————से————————————तिथि तक (मेरी नामांकन तिथि——————————————से परिणाम घोषणा की तिथि तक जिस में दोनों दिन शामिल है)
उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध मेरे द्वारा अथवा मेरे निर्वाचन एजेण्ट द्वारा किए गए अथवा प्राधिकृत सभी प्रकार के खर्च का लेखा पृथक और सही रखा गया है।

(3) उक्त लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए गए प्रोफार्मा में रखा गया है और इसकी एक सही प्रति उक्त लेखे में उल्लिखित सहायक वाउचरों बिलों सहित यहां सलंग्न की जाती है।

(4) इससे सलंग्न अनुबन्ध में दिखाए गए अनुसार मेरे निर्वाचन खर्च के लेखे में मेरे द्वारा अथवा मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा किए गए या प्राधिकृत निर्वाचन खर्च की सभी मदें शामिल हैं तथा इसमें किसी भी खर्च को छिपाया या दबाया नहीं गया है।

(5) पूर्ववर्ती पैरे (1) से (4) में दिया गया विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है और इसमें कछ भी गलत नहीं है और कोई भी महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई है

——————————————————————उम्मीदवार का,————————————निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में जिस का परिणाम————————(तारीख) को घोषित किया गया था, निर्वाचन खर्च का लेखा।

अनुबन्ध–I

निर्वाचन खर्च प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्म

उम्मीदवार का नामः
राजनैतिक दल का नाम, यदि कोई है,
निर्वाचन क्षेत्र, जहां से चुनाव लड़ा गयाः
परिणाम घाोषित होने के तिथिः

(दैनिक लेखा)

खर्च करने की तिथि	खर्च की किस्म	खर्च का लेखा अदा किया गया	बकाया	अदायगी की तिथि	आदाता का नाम और पता	राशि की अदायगी की स्थिति में वाउचर कम संख्या	राशि बकाया होने की स्थिति में बिल कम संख्या	उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे बकाया राशि अदा की जानी है	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है कि यह मेरे/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखे गए लेखे के अनुरूप है।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

निर्वाचन खर्च का संक्षिप्त ब्यौरा (अनुबन्ध–II)

खर्च की मद	मात्रा/ संख्या	खर्च करने वाले या प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति/राजनैतिक दल/निकाय/ संस्था का नाम	खर्च की राशि	अदायगी की तिथि (तिथिया)	अदायगी का ढंग	लेखे के साथ सलंग्न किया गया अदायगी का प्रमाण पत्र	विशेष कथन
1. नामांकन फार्मो की लागत							
2. प्रतिभूति जमा खर्च							
3. मतदाता सूचियों की प्रतियां खरीदने पर खर्च							
4. अभियान कार्यालयों का किराया खर्च							
5. घोषणापत्रो के मुद्रण पर खर्च							
6. व्यक्तिगत इति वृत मुद्रण खर्च							
7. पोस्टरों का मुद्रण खर्च							
8. विज्ञाप पत्रों का मुद्रण खर्च							
9. पोस्टर लगाने पर खर्च							
10. विज्ञापन पत्र बांटने पर खर्च							
11. दिवारों पर लिखवाने का खर्च							
12. विज्ञापन प्रकाशन खर्च							
13. सार्वजनिक बैठकों के लिए प्रचार खर्च							
14. सार्वजनिक बैठकों के निमित लिए गए स्थानों के किराया प्रभार							
15. सार्वजनिक बैठकों के लिए पण्डालों आदि के किराया प्रभार							
16. सार्वजनिक बैठकों के लिए लाउडस्पीकरों के किराया प्रभार							
17. सार्वजनिक बैठकों के लिए फोटोग्राफरों के पारिश्रमिक प्रभार							
18. वीडियो कैसेट बनाने और दिखाने का खर्च							
19. ओडियो कैसेट बनाने और चलाने का खर्च							
20. अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे							
21. गेट और महराबे बनाने पर हुआ खर्च							
22. उम्मीदवार द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के किराया और पैट्रोल प्रभार							
23. निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के किराया और पैट्रोल प्रभार							
24. मतदान एजेन्ट द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के किराया और पैट्रोल प्रभार							
25. गणना एजेन्ट द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों के किराया और पैट्रोल प्रभार							
26. निर्वाचन एजेन्ट को दिए गए पारिश्रमिक/ जलपान की लागत							
27. मतदान एजेन्टों को दिए गए पारिश्रमिक/ जलपान की लागत।							
28. गणना एजेन्टों को दिए गए पारिश्रमिक/ जलपान की लागत							
29. घर–घर जाने वाले कामगारों को दिए पारिश्रमिक/ जलपान की							

लागत							
30. सार्वजनिक परिवहन द्वारा पार्टी मुख्यालय तक जाने पर हुआ खर्च।							
31. विविध खर्च (उक्त सूचीबद्ध से अन्यथा)							

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

ध्यान दीजिएः—1. इस प्रोफार्मा के साथ एक शपथपत्र अवश्य लगाया जाना चाहिए शपथपत्र के बिना खर्च की की कोई विवरणी स्वीकार नहीं की जाएगी।

1. लेखा उम्मीदवार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा, यदि यह उसके निर्वाचन एजेण्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ओर उम्मीदवार द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि यह लेखे के अनुरूप है।